



डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

पत्रांक संख्या: लो0अ0वि0/सम्ब0/2016/1043

दिनांक 23.4.2016

प्रेषक,

कुलसचिव,
डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,
आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान,
खरहर सिपाहमहेरी, प्रतापगढ़।

विषय:—स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में चयनित प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपयुक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 09.02.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि चयन समिति द्वारा की गई संस्तुति एवं आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश दिनांक 09 मई, 2000, 31 दिसम्बर, 2010, 25 नवम्बर, 2013 एवं दिनांक 15 जुलाई, 2015 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत 05 वर्ष की संविदा के आधार पर प्रवक्ता पद पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों के अनुमोदन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की है कि अनुमोदन नेट सहित सभी शैक्षिक प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के अधीन होगा तथा इनके अंक पत्रों का सत्यापन नियोक्ता अपने स्तर से भी कराकर अभिलेख अपने पास सुरक्षित रखेंगे। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि कोई तथ्यात्मक त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय, प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा तथा उक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी महाविद्यालय में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

क्र सं	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	शै0 योग्यता	विषय
1	श्री मनोज कुमार वर्मा	श्री सुवंश राज वर्मा	01.01.1984	नेट	बी0एड0 प्रवक्ता
2	श्री फूलचन्द्र चौधरी	स्व0 तिलक राम चौधरी	2507.1980	नेट	बी0एड0 प्रवक्ता
3	सुधा मिश्रा	श्री इन्द्रमणि मिश्रा	25.02.1985	नेट	बी0एड0 प्रवक्ता
4	श्री विनोद कुमार दूबे	श्री गोपीनाथ दूबे	15.07.1977	नेट	बी0एड0 प्रवक्ता
5	श्री दिनेश कुमार यादव	श्री ध्रुवराज यादव	25.11.1984	नेट	बी0एड0 प्रवक्ता
6	अन्जु पटेल	श्री अमरनाथ	01.08.1988	नेट	बी0एड0 प्रवक्ता
7	श्री रवीन्द्र कुमार	श्री बाल किशुन पटेल	01.02.1984	नेट	बी0एड0 प्रवक्ता
8	श्री सन्तोष पाण्डेय	श्री शिवानन्द पाण्डेय	15.11.1979	नेट	बी0एड0 प्रवक्ता
9	श्री विजय प्रताप सिंह	श्री अशोक कुमार सिंह	15.07.1985	नेट	बी0एड0 प्रवक्ता
10	रागिनी सोनकर	श्री विजय कुमार सोनकर	30.06.1981	नेट	बी0एड0 प्रवक्ता

अतः उपरोक्त को सुसंगत शासनादेशों के आलोक में नियुक्ति कर, नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ सहित अभिलेख हेतु विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराये तथा इसके साथ यह भी सूच्य है कि अनुबन्ध पत्र में उनको दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो। वेतन बैंक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा तथा प्रवक्ता के लिये अंशदायी भविष्य निधि (कान्फ्रिड्यूटरी प्रोविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय। यदि महाविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रवक्ताओं का अनुबन्ध पत्र एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय में नहीं जमा किया जाता है, तो अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा, जिसको सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

भवदीय,


उप कुलसचिव